

कार्यालय कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल (म0प्र0)

कमांक 2 अ-82/17-18 /भू-अर्जन 1501 बैतूल दिनांक 12-02-2018
प्रति,

संचालक,
जनसम्पर्क संचालनालय,
विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास,
भोपाल ।


विषय:- ग्राम कुम्भी तहसील भैसदेही के भू-अर्जन प्रकरण में सामाजिक
समाघात निर्धारण रिपोर्ट का प्रकाशन कराने बाबत।

-0-

म0प्र0 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 08 के अन्तर्गत कुम्भी जलाशय हेतु अर्जन की जाने वाली भूमि के सम्बंध में सामाजिक समाघात रिपोर्ट की छाया प्रति संलग्न है ।

उक्त सामाजिक समाघात रिपोर्ट का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों में कराया जाकर प्रकाशन की प्रति इस कार्यालय को भेजने का कष्टकरें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार



(शशांक मिश्र)
कलेक्टर एवं

भू-अर्जन अधिकारी बैतूल
बैतूल दिनांक 12-02-2018

पृ0क0 2 अ-82/2017-18/ 1501
प्रतिलिपि:-

- 1- अनुविभागीय अधिकारी, (रा) भैसदेही को अग्रेषित, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन कराया जाकर इस कार्यालय को सूचित करे।
- 2- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग कमांक-2, बैतूल को अग्रेषित सामाजिक समाघात रिपोर्ट का ग्राम स्तर, तथा कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन कराया जाकर इस कार्यालय को सूचित करे।
- 3- प्रभारी अधिकारी नजारत शाखा कलेक्टोरेट बैतूल,
- 4- प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल, समुचित सरकार की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु
- 5- तहसीलदार भैसदेही को प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

संलग्न-उपरोक्तानुसार


कलेक्टर एवं
भू-अर्जन अधिकारी बैतूल

प्ररूप "ख"
(नियम 5 देखिए)
सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

- 1- परियोजना का नाम कुम्भी जलाशय
- 2- लोक प्रयोजन सिंचाई हेतु
- 3- स्थल कुम्भी
- 4- परियोजना का क्षेत्र ग्राम कुम्भी
- 5- विकल्प जिन पर विचार किया गया सिंचाई रकबा बढाने एवं पेयजल व्यवस्था हेतु
- 6- परियोजना की पृष्ठ भूमि विकासकर्ता कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग
की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित कमांक-2 बैतूल
- 7- परियोजना निर्माण के चरण प्रथम चरण
- 8- परियोजना के प्रभावो को दर्शाने.....प्रकरण में संलग्न है ।
वाले क्षेत्र के नक्शे
- 9- परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि ... 11.497 हे०
11.497 हे०
- 10- भूमि का मूल्य 150000/- असिंचित एवं 300000/-सिंचित
- 11- प्रभावित परिवारों की संख्या 15 किन्तु किसी भी परिवार का व्यवस्थापन
नही होना है ।
- 12- परिसम्पतियां:-
लोक सम्पति भूमि , 3.495 हे भवन निरंक अन्य
निजी सम्पति भूमि भूमि 44.359 हे भवन ... (खेतों में दो भवन कच्चे). अन्य
- 13- विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या
जिनकी भूमि अर्जित हुई

ग्राम निरंक परिवारों की संख्या-- निरंक

14- सामाजिक समाघात

(क) समाघातों का विवरण

निष्कर्ष में उल्लेखित है।

(ख) समाघातों की संकेतक सूची

निष्कर्ष में उल्लेखित है।

15- विकल्प जिन पर विचार किया गया

(क) यदि हां - तो वर्तमान प्रस्ताव को अधिमान्यता क्यों दी गई ? जन उपयोगी एवं लागत

कम होने से

(ख) यदि नहीं - तो क्यों ?

निरंक

निष्कर्ष :-

- (1) प्रभावित भूमि के अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होता है।
- (2) प्रभावित भूमि के अर्जन के कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।
- (3) प्रभावित भूमि के अर्जन से जो परिसम्पतियां प्रभावित हो रही है उनका विधिनुसार मुआवजा दिया जा रहा है ।
- (4) आवश्यकतानुसार भूमि का ही अर्जन किया जा रहा है ।
- (5) इस परियोजना के लिए शासकीय सभी मापदण्डों के अनुसार यही भूमि अर्जन हेतु उपयुक्त पाई गई जिसके कारण भूमि अर्जन के प्रस्ताव पेश किए गए है।
- (6) जिस भूमि का अर्जन प्रस्तावित किया गया है समग्र खर्च की तुलना में परियोजना से फायदे अधिक है । सभी मापदण्ड के आधार पर अध्ययन किया जाकर परियोजना निर्माण हेतु भूमि का अर्जन उपयुक्त है।

02-02-2018
अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उप संभाग
भैसदेही (बैतूल)

21/4/24

उपवनपंडल अधिकारी
भैसदेही (ता.)

21/4/24

आकोबरवा

02-02-2018

उपविभागीय अधिकारी

अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उप संभाग
भैसदेही (बैतूल)